(43)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2013 छतरपुर R-5153-III/13

श्री कुंवर सिंह कुशवाह अभि० द्वारा आज दि. 20-11-13 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 20/11/13
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

जगदीश पुत्र रामाधार ब्राह्मण, निवासी गौरेया, हाल निवासी-ग्राम कटरा, पोस्ट आफिस-खड्डीपेहरा, तहसील गोरेहार, छतरपुर

.... आवेदक

बनाम

म0प्र0शासन ... अनावेदक

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरुद्ध आदेश तहसीलदार छतरपुर के प्र.क्र. 17/अ-6अ/2010-11 आदेश दिनांक 21-11-2011 को पारित जिसकी नकल दिनांक 25-10-2013 को प्राप्त।

श्रीमान् जी,

निगरानी के आधार निम्न प्रकार पेश है :-

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया वह स्थिर रखे जाने योग्य है।
3. यह कि, आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व की आराजी को तहसील न्यायालय ने बिना जांच के सही तरह से परीक्षण किये बिना आवेदक की आराजी सरकारी घोषित नहीं किया जा सकता था कारण आवेदक गरीब लाचार, असहाय होने के कारण काम धंधा न होने के कारण इधर-उधर जहां मिल वहां चला जाता था तो क्या तहसील न्यायालय को आवेदक की आराजी को सरकारी घोषित करने का आदेश नहीं देना चाहिये ऐसा आदेश प्रारंभ से ही शून्य घोषित होने से खारिज किये जाने योग्य है।
4. यह कि, हमारी आराजी को गांव के कुछ लोग कृष्ण प्रताप सिंह के वारिस छत्रपाल सिंह, गोविन्द सिंह, महेश प्रताप सिंह अपने नाम करावाने के प्रयास में है ऐसा ज्ञात हुआ है कि यदि ऐसी कोई कार्यवाही चालू होकर पक्षकार को बिना सुने हो जाती है तो आवेदक की निगरानी आवेदन का औचित्य नहीं रह जायेगा।
5. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय आवेदक को बिना सूचना बिना सुनवाई के जो आदेश पारित किया वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

कुंवर सिंह कुशवाह (एडवोकेट) 20/11/2013

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4143–तीन/13 **जिला** –छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
2.03.16	आवेदक द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता है । आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा ने भी आवेदक के प्रकरण वापिस लेने में मौखिक सहमति दी है। अतः आवेदक एंवं आवेदक के अधिवक्ता के अनुरोध पर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण राजस्व मण्डल के अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे। सदस्य	